



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072021-228101
CG-DL-E-03072021-228101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2487]
No. 2487]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

का.आ. 2685(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1364(अ) दिनांक 26.03.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में NH -149B के कि.मी. 12.000 से कि.मी. 38.200 के भूखण्ड (चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा) पैकेज-I तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07.04.2021" को "नई दुनिया" और "सेंट्रल क्रॉनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी गयी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लागामों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149ब के कि.मी.12.000 से कि.मी 38.200
(चांपा-कोरबा-छुरी कटघोरा) पैकेज-1 के लिए

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: कोरबा					
क्रम. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कोरबा				
	गांव का नाम: बरबासपुर				
1	336	निजी	कृषि	0.535	खम्हनलाल, माखनलाल पिता गुहाराम, रूपबाई पिता गुहाराम, साहेबलाल, उमैदलाल माता सुपबाई (336)
	गांव का नाम: कुरुडीह				
2	101/1	निजी	कृषि	0.02	दुलारसाय पिता लल्लू (१०१/१)
3	101/2	निजी	कृषि	0.045	प्रियंका सिंह पति अंजनी कुमार सिंह (१०१/२)
4	101/4	निजी	कृषि	0.049	प्रियंका सिंह पति अंजनी कुमार सिंह (१०१/४)
5	102	निजी	कृषि	0.025	कार्तिक सिंह पिता बैजनाथ सिंह (१०२)
6	103/1	निजी	कृषि	0.31	बहैतराम पिता जनकराम (१०३/१)
7	104/1Gh	निजी	कृषि	0.364	चमारसाय पिता घसिया (१०४/१घ)
8	104/1K	सरकारी	गैर कृषि	1.691	छ. ग. शासन (१०४/१क)
9	107,108	निजी	कृषि	0.223	हृदयराम वगैरह (१०७, १०८)

10	109	सरकारी	गैर कृषि	0.02	पानी के नीचे (१०९)
11	110	सरकारी	गैर कृषि	0.012	घास (११०)
12	111	सरकारी	गैर कृषि	0.074	पानी के नीचे (111)
13	113	निजी	कृषि	0.226	दौलतराम पिता जगमाल सिंह (११३)
14	114	सरकारी	गैर कृषि	0.273	घास (११४)
15	18	निजी	कृषि	0.016	विशाल सिंह वगैरह (१८)
16	19	निजी	कृषि	0.085	जितेन्द्र कुमार पिता बनवारी (१९/१)
17	20	निजी	कृषि	0.121	बनवारी पिता इतवारी (२०)
18	21/1	निजी	कृषि	0.202	बिसाहूराम पिता पुसऊ वगैरह (२१/१)
19	21/2	निजी	कृषि	0.02	छत्तराम पिता टिकैतराम वगैरह (२१/२)
20	22	निजी	कृषि	0.283	परमेश्वर पिता संतूराम (२२)
21	23	निजी	कृषि	0.081	परमेश्वर पिता संतूराम (२३)
22	24	निजी	कृषि	0.142	फिरतराम वगैरह (२४)
23	25/1chh	निजी	कृषि	0.43	नीलम कुमार पिता तेजीराम (२५/१छ)
24	25/1jh	निजी	कृषि	0.809	परमेश्वर पिता संतूराम (२५/१झ)
25	25/1k	निजी	कृषि	0.607	बड़े झाड़ का जंगल (२५/१क)
26	25/2	निजी	कृषि	0.295	लतेलूराम पिता कन्हैया (२५/२)
27	25/5	निजी	कृषि	0.615	चैतू पिता भुकलू (२५/५)

28	27,85/2	निजी	कृषि	0.049	तरूण अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल (२७, ८५/२)
29	28	निजी	कृषि	0.142	सवान सिंह वगैरह (२८)
30	29,30	निजी	कृषि	0.809	तारादेवी पिता मनोगा ठाकुर (२९, ३०)
31	31/1,32	निजी	कृषि	0.065	गैलेन्द्र पिता कीर्तनलाल वगैरह (३१/१, ३२)
32	31/2	निजी	कृषि	0.129	गनेश पिता गजिन्दा वगैरह (३१/२)
33	33/6,34/6,37/6	निजी	कृषि	0.024	बालाजी पिता रामनाथ सिंह (३३/६, ३४/६, ३७/६)
34	45/1g	निजी	कृषि	0.45	भटाना पति नंदलाल (४५/१ग)
35	45/1k	सरकारी	गैर कृषि	0.202	घास (४५/१क)
36	45/2,50	निजी	कृषि	0.445	सवान सिंह वगैरह (४५/२, ५०)
37	48	निजी	कृषि	0.534	अमृतपाल सिंह (४८)
38	49	निजी	कृषि	0.165	अमृतपाल सिंह (४९)
39	97/1	निजी	कृषि	0.004	जयसिंह पिता शुक्रवार सिंह (९७/१)
40	97/2	निजी	कृषि	0.004	मोतीराम पिता टिकैतराम (९७/२)
41	97/3	निजी	कृषि	0.004	विश्वनाथ पिता अमोलसिंह (९७/३)
42	98	निजी	कृषि	0.101	मोतीराम वगैरह (९८)
43	99,100	निजी	कृषि	0.202	कार्तिक सिंह पिता बैजनाथ सिंह वगैरह (९९, १००)
			कुल	10.902	

[फा. सं. 12037/33/2016/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2021

S.O. 2685(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1364(E) dated 26.03.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH149B on the stretch of land from Km. 12.000 to Km 38.200 (Champa-Korba-Chhuri-Katghora section) Package-I in the District of Korba in the state of Chhattisgarh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Nai Duniya" and "Central Chronicle" both dated 07.04.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 12.000 to 38.200 (Champa-Korba-Chhuri-Katghora section) Package-I of the National Highway No. 149B in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: KORBA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Korba				
	Village: BARBASPUR				
1	336	Private	Agriculture	0.535	Khamhanlal, Makhanlal S/o Guharam, Rupabai D/o Guharam, Saheblal, Umend Bai M/o Sup Bai 336
	Village: Kurudih				
2	101/1	Private	Agriculture	0.02	Dularsay S/o Lallu 101/1

3	101/2	Private	Agriculture	0.045	Priyanka W/o Anjani Kumar Singh 101/2
4	101/4	Private	Agriculture	0.049	Priyanka W/o Anjani Kumar Singh 101/4
5	102	Private	Agriculture	0.025	Kartik Singh S/o Baijnath Singh 102
6	103/1	Private	Agriculture	0.31	Bahairtaram S/o Janakram 103/1
7	104/1Gh	Private	Agriculture	0.364	Chamarsay S/o Ghasiya 104/1gh
8	104/1K	Government	Non Agriculture	1.691	C.G. Government 104/1K
9	107,108	Private	Agriculture	0.223	Hriday Ram Vageirah 107,108
10	109	Government	Non Agriculture	0.02	Pani Ke Niche 109
11	110	Government	Non Agriculture	0.012	Ghas 110
12	111	Government	Non Agriculture	0.074	Pani Ke Niche 111
13	113	Private	Agriculture	0.226	Daulatram S/o Jagmalsingh 113
14	114	Government	Non Agriculture	0.273	Ghas 114
15	18	Private	Agriculture	0.016	Vishalsingh Vagairha 18
16	19	Private	Agriculture	0.085	Jitendra Kumar S/o Banwari 19/1
17	20	Private	Agriculture	0.121	Banwari S/o Itwari 20
18	21/1	Private	Agriculture	0.202	Bisahuram S/o Pusau Vagairha 21/1
19	21/2	Private	Agriculture	0.02	Chhatram S/o Tikaitram Vagairha 21/2
20	22	Private	Agriculture	0.283	Parmeshwar S/o Santuram 22
21	23	Private	Agriculture	0.081	Parmeshwar S/o Santuram 23
22	24	Private	Agriculture	0.142	Firatram Vagairha 24
23	25/1chh	Private	Agriculture	0.43	Neelam Kumar S/o Tejiram 25/1chh
24	25/1jh	Private	Agriculture	0.809	Parmeshwar S/o Santuram 25/1jh
25	25/1k	Private	Agriculture	0.607	Bade Jhad ki Jangal 25/1k

26	25/2	Private	Agriculture	0.295	Lateluram S/o Kanhaiya 25/2
27	25/5	Private	Agriculture	0.615	Chaitu S/o Nakul 25/5
28	27,85/2	Private	Agriculture	0.049	Tarun Agrawal S/o Ashok Agrawal 27,85/2
29	28	Private	Agriculture	0.142	Sawan Singh Vagairha 28
30	29,30	Private	Agriculture	0.809	Taradevi S/o Manoga Thakur 29,30
31	31/1,32	Private	Agriculture	0.065	Gailendra S/o Kirtan Lal Vagairha 31/1,32
32	31/2	Private	Agriculture	0.129	Ganesh S/o Gajinda Vagairha 31/2
33	33/6,34/6,37/6	Private	Agriculture	0.024	Balaji S/o Ramnath Singh 33/6,34/6,37/6
34	45/1g	Private	Agriculture	0.45	Bhathana S/o Nandlal 45/1g
35	45/1k	Government	NON Agriculture	0.202	Ghas 45/1k
36	45/2,50	Private	Agriculture	0.445	Sawan Singh Vagairha 45/2,50
37	48	Private	Agriculture	0.534	Amritpal Singh 48
38	49	Private	Agriculture	0.165	Amritpal Singh 49
39	97/1	Private	Agriculture	0.004	Jaysingh S/o Sukwarsingh 97/1
40	97/2	Private	Agriculture	0.004	Motiram S/o Tikaitram 97/2
41	97/3	Private	Agriculture	0.004	Vishwnath S/o Amolsingh 97/3
42	98	Private	Agriculture	0.101	Motiram Vagairha 98
43	99,100	Private	Agriculture	0.202	Kartik Singh S/o Baijnath Singh Vagairha 99,100
			TOTAL	10.902	

[F. No. 12037/33/2016/CG/P-5/3D]

RAJESH GUPTA, Director